न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास—दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 201/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रियांबडी		धारूराम पुत्र उरजाराम, जाति खाती निवासी सुरपुरा (फौत)

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दन सिंह आचीणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 14.11.2019

तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा मौजा जसवन्ताबाद के साबिका खसरा नम्बर 483/1 रकबा 3.13 बीघा भूमि का अप्राथी धारूराम पुत्र उरजाराम कौम खाती निवासी सुरपुरा को सन् 1996 में किये गये आवंटन/अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बने नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवेदन न्यायालय हाजा में पेश किया, जिस पर प्रकरण दिनांक 19.10.2015 दर्ज किया जाकर अप्रार्थी धारूराम को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी धारूराम को जारी नोटिस तारीख पेशी 25.2.2016 अप्रार्थी धारूराम फौत हो जाने की तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के साथ लौटकर प्राप्त हुआ, जिस पर तहसीलदार रियांबड़ी से अप्रार्थी के कायममुकामान की सूची व वस्तुस्थिति की रिपोर्ट भिजवाने हेतु बार—बार लिखा गया।

उक्त संबंध में तहसीलदार रियांबड़ी ने अपने पत्रांक—भू0अ0/19/5409 दिनांक 30.10.2019 से मुख्यतः अवगत कराया है कि ग्राम जसवन्ताबाद के साबिका खसरा नम्बर 483/1 रकबा 3.13 बीघा अप्रार्थी धारूराम के नाम सीलिंग में अवाप्त भूमि उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के द्वारा आवंटन की गई, जिसका नामान्तरकरण संख्या 1211 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ परन्तु आवंटी अप्रार्थी श्री धारूराम को भौतिक रूप से कब्जा नहीं सौपा गया। अप्रार्थी गैर खातेदार स्व0 धारूराम मूल रूप से ग्राम काणेचा तहसील जैतारण जिला पाली में निवास करता था, वह फौत हो चुका और उसके कोई वैध वारिस नहीं होना अवगत कराया है। तहसीलदार रियांबड़ी का उक्त पत्र दिनांक 30.10.2019 शामिल मिसल है।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा मौजा जसवन्ताबाद के साबिका खसरा नम्बर 483/1 रकबा 3.13 बीघा भूमि का अप्राथी धारूराम पुत्र उरजाराम कौम खाती निवासी सुरपुरा को सन् 1996 में किये गये आवंटन/अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार निरस्त करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बने नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवेदन यह आवेदन पत्र पेश किया, परन्तु तहसीलदार रियांबड़ी के उक्त पत्र दिनांक 30.10.2019 के अनुसार अप्रार्थी गैर खातेदार स्व0 धारूराम फौत हो चुका है एवं के कोई वैध वारिस नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी धारूराम के फौत हो जाने एवं उसके कोई वैध वारिस नहीं होने से अप्रार्थी धारूराम के विरूद्ध कार्यवाही अबेट की जाती है। तहसीलदार रियांबड़ी को अप्रार्थी धारूराम को आवंटित भूमि राजकीय तहवील में लेने के संबंध में विधि सम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते है। आदेश की प्रति तहसीलदार रियांबड़ी को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सुनाया गया।

14/11/19

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2019.11.22 15:56:11 IST
Reason: SelfAttested